राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –208/2005/उदयपुर

मैसर्स सिसोदिया मार्बल एण्ड सीमेन्ट सप्लायर्स, उदयपुर .....**अपीलार्थी.**

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, वृत–डी, उदयपुर .....**प्रत्यर्थी.**

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता
अभिभाषक। .....**अपीलार्थी की ओर से.**

श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

निर्णय दिनांक : 10.06.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी ने उक्त अपील उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 12.11.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट–तृतीय वृत्त बी, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का कर निर्धारण वर्ष 2006–07 अन्तर्गत धारा 24(3), 55 एवं 58 में एकपक्षीय आदेश दिनांक 13.03.2009 पारित करते हुए करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति कुल मांग राशि 7,50,000/– रूपये अपीलार्थी के विरूद्ध कायम की गई। कर निर्धारण के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा धारा 34 के अन्तर्गत दिनांक 17.12.2013 को प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसकी सुनवाई दिनांक 12.11.2014 को कर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी यह अपील पेश की गई है।

3. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.03.2009 पारित कर रूपये 7,50,000/–मांग सृजित की है, जो अविधिक है। उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा भी बिना किसी उचित कारण से उनके आवेदन अन्तर्गत धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत

लगातार.....2

प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। जो तथ्यों एवं रिकॉर्ड के अनुसार उचित नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 12.11.2014 एवं कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.03.2009 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए रू. 7,50,000/–मांग सृजित की है, जो उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखे हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन कि उन्हें कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभय पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 20.02.2009 में यह लिखा है कि पत्रावली पेश हुई व्यवसायी ने वर्ष 2006–07 के बिक्री प्रपत्र पेश नहीं किये है। पूर्व में भी नोटिस जारी किये है एंव अन्तिम नोटिस 13.03.2009 को जारी हो। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस तो जारी किया गया है लेकिन उसमें जारी करने की दिनांक व आगामी तिथि अंकित नहीं की गई है। दिनांक 13.03.2009 की आदेशिका में लिखा है कि पत्रावली पेश हुई, व्यवहारी अनुपस्थित तथा दिनांक 13.03.2009 को एकतरफा आदेश पारित करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति कुल मांग रूपये 7,50,000/– अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित कर दी गयी। अपीलार्थी/व्यवहारी का यह कथन है कि उसे कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। यहां यह उल्लेखनीय है कि रिकॉर्ड पर अपीलार्थी को तामीलशुद्धा नोटिस उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि रिकॉर्ड पर अपीलार्थी व्यवहारी को कर निर्धारण आदेश से पूर्व सुनवाई हेतु जारी किसी प्रकार का कोई नोटिस अदम् तामील भी उपलब्ध नहीं है। इससे यही उपधारणा ली जायेगी कि कर निर्धारण आदेश से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई हेतु कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा इस अधिनियम की धारा 34 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुचित रूप से खारिज किया गया है।

10/06/16

लगातार.....3

7. प्रकरण के तथ्यों पर गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, उसे सुनने के पश्चात् 2 माह में पुनः अलौच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को यह भी निर्देश दिये जाते है कि वह इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवस के अन्दर वह कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अलौच्य अवधि का पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने में सहयोग प्रदान करें।

8. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2014 एवं कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेश 13.03.2009 को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण, कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(राजीव चौधरी)
सदस्य